

वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु उच्च विद्यालय, संग्रामलोढ़िया देवघर एवं मदरसा दीनिया, रसीदीया, लोहरदगा को अनुदान की स्वीकृति के संबंध में परिचालन के माध्यम से हुए बैठक की कार्यवाही।

झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 की धारा-06 में विभागीय सचिव की अध्यक्षता में यथा प्रावधानित अनुदान समिति की बैठक परिचालन के माध्यम से आहूत की गई।

2. विभागीय अनुदान समिति की बैठक दिनांक 04.03.2022, 14.03.2022 एवं 23.03.2022 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय संबंधी शर्तों के अधीन में निम्नांकित विद्यालय/मदरसा को अनुदान की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है-

वित्तीय वर्ष	विद्यालय/मदरसा का नाम	स्वीकृत राशि
2020-21	उच्च विद्यालय, संग्रामलोढ़िया, देवघर	720000.00
2021-22	उच्च विद्यालय, संग्रामलोढ़िया, देवघर	720000.00
2020-21	मदरसा दीनिया रसीदीया, लोहरदगा।	360000.00
2021-22	मदरसा दीनिया रसीदीया, लोहरदगा।	360000.00
	कुल	2160000.00

Kaushal
22-03-2022

योजना-सह-वित्त
विभाग (वित्त प्रभाग)
झारखण्ड, रांची के
प्रतिनिधि।
(सदस्य)

[Signature]
29/3/2022

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
झारखण्ड रांची।
(सदस्य सचिव)

[Signature]
20/3/22

सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं
साक्षरता विभाग,
झारखण्ड रांची।
(अध्यक्ष)